

### **प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-09-2021**

**वाहन चालकों के विरुद्ध किये गये चालान के समयबद्ध निस्तारण हेतु दिनांक 11-09-2021 को लगने वाले लोक अदालत का यातायात टीम द्वारा पंपलेट व लाउडहेलर के माध्यम प्रचार-प्रसार किया गया ।**

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध किये गये चालान के समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 10-09-2021 को श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार मय टीम द्वारा दिनांक 11-09-2021 को लगने वाले लोक अदालत में वाहन चालान के निस्तारण हेतु पंपलेट व लाउडहेलर के माध्यम से थानाक्षेत्र सिद्धार्थनगर,बांसी, इटवा एवं जोगिया आदि क्षेत्रों में भ्रमण शील रहकर प्रचार-प्रसार किया गया एवं यातायात नियमों के सम्बन्ध में सभी को जागरूक किया गया तथा बताया गया कि वह अपना चालान दिनांक 11.09.2021 को समय 10.00 बजे मा0 न्यायालय मे उपस्थित होकर लोक अदालत में निस्तारण करा सके ।

### **प्रेस नोट दिनांक 11-09-2021**

धारा 107 सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट को यह जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई भी गलत कार्य करने की संभावना है जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और यह राय है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, वह, प्रदान किए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे जमानत के साथ या उसके बिना, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, एक बांड 4x को निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2020 के अवलोकन से पता चलता है कि रेसी ऑनडेंट नंबर 3 द्वारा दर्ज की गई ऐसी कोई संतुष्टि नहीं है। उक्त आदेश दिनांक 08.10.2020 आगे प्रकट करेगा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं को यह कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें जमानतदारों के साथ या बिना बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3 ने सीआरपीसी की धारा 107 के जनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

### **सराहनीय कार्य दिनांक 10-09-2021**

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 10-09-2021 को पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण किया गया तदोपरान्त महोदय द्वारा जवानों को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिए सभी जवानों को परेड ग्राउण्ड पर दौड़ाया गया उसके बाद उन्हें तेज चाल/धीरे चाल में चलाकर ड्रिल कराया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्वार्टरगार्ड,शस्त्रागार,स्टोर,रेडियोशाखा,मनोरंजनगृह, भोजनालय,परिवहनशाखा,जिला और नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया जहां साफ-सफाई दुरुस्त एवं अभिलेख अद्यतन पाए गए । महोदय द्वारा साथ ही साथ सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सब लोग अपने आस-पास की जगहों को साफ व स्वच्छ रखे जिससे पुलिस लाइन में किसी प्रकार की गंदगी न फैले । इस परेड/निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव, प्रतिसार निरीक्षक ब्रह्मदेव उपाध्याय, उ0नि0 दीपक कुमार, पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक व पुलिस लाइन में नियुक्त अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।

## **सराहनीय कार्य दिनांक 10-09-2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-10-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 616 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 95 वाहनों का चालान तथा 02 वाहन सीज कर ₹ 94,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

